फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

मूलचन्द बनाम जगदीश वगै0

ख्या : 41/2020

क ा या वाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 05.05.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला-जयपुर	
05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षो की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम फूटोलाव, पटवार हल्का फूटोलाव, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 298 में से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 348, 353 में पूर्व से आता जाता है। इसके अलावा कोई रास्ता नही है तथा संलग्न नजरी नक्शें अनुसार 30 फिट चौडा गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित करने के आदेश दिया जावें। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम फूटोलाव की आबादी भूमि मे मकान बनाकर रहवास कर रहे है। खसरा नम्बर 298 मे से कोई रास्ता चालु नही है। जहा तक खसरा नम्बर 348, 353 मे पहुच का प्रश्न है, उक्त दोनों खसरा नम्बर रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 300, 321 से सीधे तौर पर जुडे हुये है। जिहाजा प्रार्थीगण नये रास्ते का हकदार नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगणों की भूमि खसरा नम्बर 348, 353 में आने जाने के लिए खसर नम्बर 300, 321 गै0मु0रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा ग्रेवल डली हुई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणो को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने की कोई समस्या नही है तथा नया रास्ता नही दिया जा सकता है। अतः प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि में पहले से रास्ता मौजूद होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	